

आदेश

वित्तोप हस्त पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के पैराग्राफ 246 मण्डित राजाज्ञा पंख्या-बी = 3-511 (65) / 49 = 2002 - 20(12) / 2001 = मौका - दिनांक 26-02-2002 के अन्तर्गत श्री - बच्चू लाल, उपर जिला - - - - - जज, जालौर स्थान उरई

को रु 80,000/- के अस्ती हज़ार मात्र - का भ्रष्ट मोटर कार खरीदने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाता है।

1. स्वीकृति की तिथि से ³¹⁻³⁻²⁰⁰² को मध्य मीमा के अन्दर भ्रष्ट को धनराशि रु 50,000 तक नहीं निकालनी चाहिए जबकि उसकी वास्तव में व्यय करने की आवश्यकता न हो। उसके तुरन्त बाद मोटर कार कृप कर ली जाय अन्यथा आदेश रद्द कर दिया जायेगा।

2. भ्रष्ट का सघा आहीरत करने के लिये तिल प्रस्तुत करने के पूर्व एक अनुबन्ध पत्र फार्म नं 25-ए पर भर कर मोधे वम न्यायालय को भेजा जाय। तदुपरान्त मोटर कार कृप किया जाय और अनुबन्ध पत्र की तिथि से एक माह के अन्दर फार्म 25 पर बन्धक पत्र भर कर उसके प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करके न्यायालय को भेजा जाय।

3. यदि मोटर कार का वास्तविक मूल्य भ्रष्ट को धनराशि से कम हो तो बढ़ी हुई धनराशि शोध कोषागार में वापस कर दी जाय।

4. भ्रष्ट पर अनिश्चय से - 183 - - - प्रतिशत साधारण ब्याज लिया जायेगा किन्तु नियमित रूप से बचत/ब्याज के प्रतिदान/भुगतान होने पर ब्याज में 3-5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। ब्याज की जो दरें अंतिम रूप से निर्धारित होंगी वह भ्रष्टों को मान्य होंगी।

5. वित्तोप हस्त पुस्तिका खण्ड 5 भाग एक के पैराग्राफ 245 (डो) में दिये गये नियमों के अनुसार भ्रष्ट को कटौती श्री - लाल - - - - - के वेतन से - - - 96 - - मासिक किस्तों में रु - 830/- को दर में वसूल को जायेगी, जिसमें अन्तिम किस्त रु - 1150/- को होंगी। बूलधन की अदायगी के तुरन्त बाद ब्याज की किस्तों की अदायगी को जायेगी।

6. भ्रष्ट का प्रयोग किराया कृप पहचान के आधार पर या किस्तों पर मोटर कार खरीदने में नहीं किया जायेगा।


:2:

7. मोटर कार खरीदने जाने के एक माह के भीतर उसका कम्प्रेडिन्सव इन्श्योरेंस करा दिया जाय और सम्बन्धित लोमा पालिसी का नवीनीकरण कराकर उस समय तक चालू रखा जाय जब तक अग्रिम पूर्ण रूप से भुगतान न कर दिया जाय। लोमे के माध्य में लोमा पालिसी या अन्य प्रमाणक मोटर कार मूल्य के प्रमाणक तथा बचो हुई धनराशि यदि कोई हो तो शासन को लौटाने की तिथि की सूचना के साथ न्यायालय को भेजी जाय।

8. शासन/न्यायालय द्वारा अपेक्षा किये जाने पर, अथवा स्वीचरक सेवा निवृत्ति पर दर्शाये शेष धनराशि ब्याज सहित एक मुद्रस में देय होगी।

9. इस सम्बन्ध में हुए व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में वित्त विभाग की अनुदान संख्या 61 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-7610-सरकारो कर्मचारियों की कर्त-आयोजनेतर-202-मोटर वाहन का क्रय करने के लिये अग्रिम-03-राज्य कर्मचारियोंको मोटर वाहन क्रय करने के लिये अग्रिम -30 निवेश/क्षण के नामे डाला जाना चाहिये।

दिनांक 03-03-2002,

X 
महानिरीक्षक

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

AR Girvanam
19/3/02